छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका संख्या 2453/2003

याचिकाकर्ता : गोपी, पिता श्री रामनाथ चौहान , आयु लगभग 40 वर्ष, निवासी लाल खदान, देवरीखुर्द , थाना तोरवा, तहसील एवं जिला बिलासपुर (छ०ग०)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण :

1) कोल इंडिया लिमिटेड, द्वारा : अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक , एसईसीएल कार्यालय, सीपत रोड, बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ०ग०)।

2) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, हसदेव क्षेत्र, राज नगर उप–क्षेत्र, तहसील कोटमा, जिलाः शहडोल
द्वारा अधीक्षक/एम. प्रबंधक, राज नगर, आर.सी. कोलियारी।

3) खनन प्रबंधक, राज नगर कोलियरी, तह . कोटमा, जिला शहडोल (म.प्र.)

4) प्रबंधक, न्यू राज नगर कोलियरी, हसदेव क्षेत्र, एसईसीएल, तहसील कोटमा, जिला शहडोल (म. प्र.)

5.) मुख्य महाप्रबंधक, एसईसीएल., बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ०ग०)।

6. उप क्षेत्रीय प्रबंधक, राज नगर कोलियरी, निवासी उप–क्षेत्र, तह. कोटमा, जिला शहडोल (म. प्र.)

7. क्षेत्र चिकित्सा मंडल, केंद्रीय अस्पताल, मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया (छ०ग०), द्वारा : चिकित्सा अधीक्षक, सी.एम.एम. मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया(छ०ग०)

8. उत्तरा बाई, पति कोपी राम, आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी–राज नगर कोलियरी, तहसील मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया (छ०ग०)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत प्रस्तुत रिट याचिका

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका संख्या 2453/2003

याचिकाकर्ता	:	गोपी
	विरुद्ध	
उत्तरवादीगण	:	कोल इंडिया लिमिटेड और अन्य।

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

उपस्थिति:	:	याचिकाकर्ता के लिए श्री पुष्पेंद्र पटेल, अधिवक्ता ।
		उत्तरवादी संख्या 1 से 7 के लिए श्री पी. एस. कोशी, अधिवक्ता।
	:	उत्तरवादी संख्या 8 के लिए कोई उपस्थित नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मौखिक आदेश

(3 अप्रैल, 2006)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश **न्यायमूर्ति सतीश के. अग्निहोत्री** द्वारा पारित किया गया :

1. याचिकाकर्ता न्यू राजनगर कोलियरी, हसदेव क्षेत्र, एसईसीएल, तहसील–कोटमा, जिला शहडोल के कार्यालय में दिनांक 1.6.1975 से 20.5.1990 तक लोडर के पद पर काम कर रहा था।

2. याचिकाकर्ता को क्षेत्र चिकित्सक मंडल द्वारा दिनांक 6.4.1990 को चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित किया गया था। याचिकाकर्ता की सेवा आदेश दिनांक 17.5.1990

(अनुलग्नक आर/1) द्वारा दिनांक 21.5.1990 से समाप्त कर दी गई थी। याचिकाकर्ता ने उक्त आदेश को चुनौती नहीं दी और उसे स्वीकार कर लिया।

3. इसके बाद याचिकाकर्ता ने दिनांक 2.7.1990 को अपना आवेदन(अनुलग्नक पी/2) प्रस्तुत किया , जिसमें उसने अपनी पत्नी श्रीमती उत्तरा बाई की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की मांग की थी। उत्तरवादी कोलफील्ड ने याचिकाकर्ता के आवेदन दिनांक 2.7.1990 पर विचार किया और आदेश दिनांक 25.7.1992 द्वारा श्रीमती उत्तरा बाई को सामान्य मजदूर श्रेणी–। के पद पर नियोजित किया। श्रीमती उत्तरा बाई ने दिनांक 7.9.1992 को कार्यभार ग्रहण कर लिया और उक्त पद पर कार्य करना जारी रखा है।

4. याचिकाकर्ता ने यह याचिका दिनांक 1.8.2003 को दायर की है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि उसकी पत्नी श्रीमती उत्तरा बाई के पक्ष में जारी नियुक्ति आदेश दिनांक 15.9.1992 को रद्द किया जाए और याचिकाकर्ता को सभी बकाया वेतन के साथ सेवा में बहाल किया जाए। याचिकाकर्ता ने 11 वर्ष की अवधि के बाद यह याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने इस याचिका को दायर करने में अत्यधिक विलंब का कारण नहीं बताया है। यहां तक कि गुण–दोष के आधार पर भी, याचिकाकर्ता ने ऐसा कोई प्रकरण का नहीं बनाया है जिससे यह संकेत मिले कि याचिकाकर्ता के आवेदन के आधार पर उसकी पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करके उसके किसी अधिकार का उल्लंघन किया गया है। याचिकाकर्ता ने अपनी सेवा समाप्ति के आदेश को चुनौती नहीं दी है, जो मेडिकल फिटनेस के आधार पर दिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. यह याचिका दोषपूर्ण है और न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इस प्रकार की याचिका पर सख्ती से विचार किया जाना चाहिए क्योंकि याचिकाकर्ता को अपनी पत्नी श्रीमती उत्तरा

बाई के पक्ष में अनुकंपा नियुक्ति का लाभ प्राप्त करने के बाद इस तुच्छ याचिका को दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

6. तदनुसार याचिका को जुर्माना अधिरोपित करते हुए निरस्त किया जाता है। ₹1000/– का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। यह छह सप्ताह की अवधि के भीतर उच्च न्यायालय विधिक सहायता सेवा समिति को संदेय होगा।

परिणामस्वरूप, एम.(डब्ल्यू.)पी. संख्या 2378/2003 निराकृत किया जाता है।

सही/–
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

बबलू

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

= = = = 0000= = = =

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**